

**IMMEDIATE**  
**Reminder-2**



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्र०एफ.४(100)जैवविविध/विधि/पंरा/2012/3309

दिनांक :15.01.2020


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 3304 दिनांक 10.01.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आपसे अपेक्षा की गई थी कि राज्य की समस्त ज़िला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत पारित किये गये तीनों स्तर की संस्थाओं के प्रस्तावों की प्रतियां पांच दिवस के भीतर आवश्यक रूप से जरिए ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि प्रिंसीपल बेंच, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 347 of 2016 में दिनांक 09.8.2019 को पारित आदेश की पालना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा भिजवाई जा सके।


किन्तु कतिपय ज़िलों से मात्र पारित प्रस्ताव की संख्यात्मक सूचना ही भिजवाई जा रही है, जबकि ज़िला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की साधारण सभा में पारित किये गये मूल प्रस्तावों को स्कैन करवाया जाकर, प्रतियां जरिए ई-मेल भिजवाया जाना अपेक्षित है। अतः कृपया समस्त ज़िले तदनुसार मूल प्रस्तावों की स्कैन प्रतियां आवश्यक रूप से दो दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
(श्री० आरूषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा०वि० एवं पं० राज, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट नं० 7, द्वारिका पुरी, जमना लाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ।
4. ए०सी०पी० मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

  
उपायुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)